राजस्थान सरकार

(सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,राईस, जयपुर द्वारा संचालित)

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा टोंक

Email- wazirpuratnk@gmail.com Mob. No.- 9413064017

दिनांकः– 10-05-22

क्रमांक :–राबाआवि/लेखा/वजीर./2022–23/67-73

खुली निविदा सूचना 01/2022–23

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय हेतु जॉब बेसिस सेवा कार्यो एंव माल की आपुर्ति करवाने हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मो, सक्षम एवं अनुभवी ठेकेदारों से निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

खुली निविदा सुचना–01/2022–23 (NIB No.- SOC2223A0013)

क्र. सं.	कार्य/सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों मे)	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदाऐ कार्यालय में जमा कराने दिनांक व समय	निविदाए खोलने की दिनांक व समय
01	जॉब बेसिस कार्य (चौकीदार,रसोईया,सफाईकर्मी आदि) UBN-SOC2223SSRE00017	3.50	7000.00	200/-	17.05.2022 को सुबह 10:00 बजे तक	17.05.2022 को सुबह 12:00 बजे तक	निविदाये दिनांक 17. 05.2022 को दोपहर 12:30 बजे से उपस्थित निविदाताओं एंव क्रय/मैस समिति के समक्ष खोली जायेगी।
02	सब्जी एंव फल आपुर्ति कार्य UBN-SOC2223GSRE00018	4.60	9200.00	200/-	17.05.2022 को सुबह 10:00 बजे तक	17.05.2022 को सुबह 12:00 बजे तक	

निविदा आमन्त्रण की शर्तें :–

01. तकनीकी बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा तय दिनांक व समय तक निविदा फार्म शुल्क राशि 200/–,रूपये एंव बोली प्रतिभुति राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफट जो कि **Principal, Govt. Girls Residential School, Wazirpura, Tonk** के नाम हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
02. खुली निविदा के निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है या **www.sppp.rajasthan.gov.in** पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते है।
03. निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नही कि जायेगी तथा निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा एंव सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नही कि जायेगी।
04. धरोहर/प्रतिभुति राशि केवल डीडी के रूप में ही स्वीकार की जायेगी नकद स्वीकार नही की जायेगी। प्रत्येक निविदा के लिए अलग–अलग डीडी प्रस्तुत करने होंगे।
05. प्राप्त निविदाओं को निर्धारित दिनांक व समय पर विद्यालय क्रय समिति एवं उपस्थि निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा उस दिन नही खोली जाने पर उसी समय उपस्थित निविदादाताओं को सूचित कर दिया जायेगा।
06. सामान्य वित व लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 या नियम 2013 की समस्त शर्तें व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देश मान्य होगें।
07. खुली निविदा में निविदाताओं को तकनीकी व वितीय निविदा को अलग–अलग लिफाफों में सीलबन्द कर डालना होगा। तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

Abha Sharma
प्रधानाचार्य
राजकीय बालिका आवासीय
विधालय,वजीरपुरा, टोंक

क्रमांक :–राबाआवि/लेखा/वजीर./2022–23/67-73 दिनांकः– 10-05-22

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है–

01. श्रीमान निदेशक महोदय,सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,जयपुर
02. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग (राईस),जयपुर
03. श्रीमान वितीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,जयपुर
04. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग जयपुर को निविदा सुचना एंव निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन का श्रम करावें।
05. नोटिस बोर्ड सुचना केन्द्र कलेक्ट्रेट/सान्याअवि टोंक/कोष कार्यालय टोंक

Abha Sharma
प्रधानाचार्य
राजकीय बालिका आवासीय
विधालय,वजीरपुरा, टोंक

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

मूल्य 200/– रूपये

(सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,राईस, जयपुर द्वारा संचालित)

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय वजीरपुरा टोंक

जारीकर्ता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर एंव तिथि

खुली निविदा सूचना 01/2022–23

निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा)

विषय :– राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा, टोंक में अधिकतम 252 या अध्ययनरत छात्राओं के लिए मौसमी सब्जी एंव फल सप्लाई का कार्य ठेके पर देने हेतु।

1. निविदा प्रस्तुत करनें वाले व्यक्ति/फर्म/फल एंव सब्जी विक्रेता का नाम तथा डाक का पूरा पता..................
   ....
   ई–मेल आईडी ....मोबाईल..
2. निविदाशुल्क राशि 200/– रू जमा कराने का विवरण –
   नकद जमा रसीद संख्या/डी.डी. संख्या..दिनांक...
3. बोली प्रतिभूति राशि रूपये .... जमा कराने का विवरण ....
   डी.डी./बैंकर चैक संख्या ....दिनांक ....
4. धरोहर राशि हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय वजीरपुरा टोंक के पक्ष में जारी बैकर्स चैक/ड्राफ्ट संख्या..........................दिनांक.........................राशि रु......................संलग्न है।
5. व्यक्ति/फर्म/फल एंव सब्जी विक्रेता के बैंक खाते का विवरण :–
   (अ) बैंक खाते मे उल्लेखित नाम (बैंक पासबुक अनुसार)..
   (ब) बैंक का नाम व शाखा ....
   (स) बैंक खाता संख्या ....आईएफएससी कोड...
6. व्यक्ति/फर्म/फल एंव सब्जी विक्रेता के पैन कार्ड का विवरण :–
   (1) व्यक्ति/फर्म/फल एंव सब्जी विक्रेता का नाम (पैन कार्ड के अनुसार)..
   (2) व्यक्ति/फर्म/फल एंव सब्जी विक्रेता का पैन कार्ड नम्बर ....

मैने/हमने प्रधानाचार्य राजकीय बालिका आवासीय विधालय, वजीरपुरा, टोंक के द्वारा जारी की गई निविदा सुचना संख्या.........................दिनांक ....में वर्णित एंव निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शतों को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैने/हमने हस्ताक्षर किये है जिन्हे मै/हम मानने के लिये बाध्य हुँ/है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो आवासीय विधालय प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एंव उक्त निविदा को निरस्त करने का पुर्ण अधिकार राजकीय बालिका आवासीय विधालय वजीरपुरा, टोंक को प्रदत करता हूँ/करते है।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर

Abha Sharma

रा॰ बा॰ आवा॰ उ॰ मा॰ वि॰

वजीरपुरा.टोंक

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

(सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,राईस, जयपुर द्वारा संचालित)

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय वजीरपुरा टोंक

खुली निविदा सूचना 01/2022–23

निविदा की सामान्य शर्ते

(राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा, टोंक में अधिकतम 252 या अध्ययनरत छात्राओं के लिए मौसमी सब्जी एंव फल सप्लाई हेतु।)

1. निविदा के साथ बोली प्रतिभूति राशि नकद स्वीकार्य नहीं होगी। निर्धारित राशि का डी.डी./बैंकर चैक, जो प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा, टोंक के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी) निविदा राशि की 2 प्रतिशत एंव अमानत राशि (परफोर्मेन्स सिक्योरिटी) निविदा राशि की 2.5 प्रतिशत होगी।
3. निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा डाक से भेजी गई निविदाए मान्य नहीं होगी
4. निविदादाता को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा इसके बिना निविदा पर विचार नही किया जाएगा।
5. प्राप्त निविदाओं को निर्धारित दिनांक व समय पर विद्यालय क्रय समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा उस दिन नही खोली जाने पर उसी समय उपस्थित निविदादाताओं को सूचित कर दिया जायेगा एवं निविदा खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने पर निविदा अगले दिन खोली जाएगी।
6. निविदाऐ माल के वास्तविक निविदादाताओं द्वारा ही दी जायेगी। फल एंव सब्जी की आपुर्ति का कार्य स्वंय निविदादता को करना होगा अर्थात किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को ठेका सबलेट नही किया जाएगा।
7. समान दरें प्राप्त होने पर बंद लिफाफे में नेगोशियेशन करवा कर निर्णय लिया जायेगा।
8. निविदा प्रपत्र बॉलपेन से भरे जाने चाहिये। पेन्सिल से भरे गये प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार का संशोधन एवं ओवर राईटिंग नहीं किया जायेगी। यदि किसी प्रकार का सुधार करना हो तो निविदादाता अपने लघु हस्ताक्षर करेगें।दरे शब्दों एंव अंको दोनो में लिखी जाएगी इसमें कोई त्रुटिया या उपरिलेखन नही होना चाहिए।
9. निविदा के साथ निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के जमा का साक्ष्य कार्यालय रसीद/प्रधानाचार्य के नाम डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक अथवा ई–ग्रास से चालान जमा करवाकर चालान की कॉफी संलग्न किया जायेगा। अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
10. दरे शब्दों एंव अंको दोनो में लिखी जाएगी इसमें कोई त्रुटिया या उपरिलेखन नही होना चाहिए।
11. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सुचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म को मुक्त नही किया जाएगा।
12. निविदा दर निविदा अनुमोदित होने तिथी से 31.03.2023 तक अथवा आगामी निविदा प्रक्रिया पुर्ण होने तक अनुमोदित दर से ही आपुर्ति करनी होगी एंव इस अवधि में आपसी सहमति से आगामी सत्र के लिये वृद्वि की जा सकेगी। निविदादाता फर्म कार्य करने के लिए बाध्य है।
13. निविदाये उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
14. निविदादात की कोई शर्त मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा ठेके की शर्तो का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
15. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के आदेश की तिथि से 7 दिवस की अवधि में निविदा राशि के वित (जीएण्डटी) विभाग राजस्थान सरकार गजट नोटिफिकेशन दिनांक 12.01.2022 के अनुसार 2.5 प्रतिशत (जमा बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी) 2 प्रतिशत को समायोजित करते हुए) के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि **प्रधानाचार्य राजकीय बालिका आवासीय विधालय, वजीरपुरा, टोंक** के नाम जारी डी.डी./एफ.डी अथवा ई–ग्रास से चालान जमा करवाकर चालान की कॉफी जमा करवानी होगी तथा निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध पत्र (निविदादाता द्वारा कय किये गये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर) निष्पादित करना होगा। निविदा की शर्तों का उल्लघंन करने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। संतोषप्रद रूप से अनुबन्ध समाप्त होने के एक माह की अवधि में प्रतिभूति राशि लौटा दी जायेगी परन्तु प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
16. ई–ग्रास के माध्यम से बोली प्रतिभूति एंव कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवाने हेतु वित (जीएण्डटी) विभाग,राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 एंव वित (जीएण्डटी) विभाग,राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 09.07.2020 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
17. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्य आदेश में उल्लेखित तिथि से ठेके पर सब्जी एंव फल सप्लाई करना होगा तथा छात्राओं की संख्या के अनुसार सब्जी एंव फल की मात्रा को घटाया एंव बढाया जा सकता है एंव सब्जी विशेष की आपुर्ति कम से कम तीन से चार दिन बाद की जा सकेगी।
18. मीनु अनुसार सब्जी की सप्लाई प्रत्येक दिन सुबह 10:00 बजे छात्राओं की संख्या के आधार पर करनी होगी तथा मीनु अनुसार सब्जी एंव फल का एफओआर स्थानीय विधालय का छात्रावास रहेगा जिसमें पैंकिग खर्चा, भेजने का किराया, बीमा खर्चा, एंव समस्त कर सम्मिलित होगें

ASSharma
प्रधानाचार्य
रा॰ बा॰ आवा॰ उ॰ मा॰ वि॰
वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner

19. न्युनतम दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मैस समिति/क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
20. सब्जी एंव फल ताजा होना चाहिए तथा सब्जी एंव फल में किसी प्रकार की विषाक्तता पाये जाने पर सब्जी एंव फल विक्रेता के खिलाफ तुरन्त कानुनी कार्यवाही की जावेगी।
21. **जो निविदादाता वस्तु एंव सेवा कर (GST)एवं FSSAI में पंजीकृत होगा उसको प्राथमिकता दी जायेगी।**
22. मीनु अनुसार हरी सब्जी/फल की गुणवता में कमी पाये जाने पर संस्था प्रधान के निर्देशानुसार गुणवता में सुधार लाना होगा अन्यथा प्रधानाचार्य द्वारा की गयी वैकल्पिक व्यवस्था के हर्जे-खर्चे की वसुली निविदादाता से की जायेगी।सब्जी एंव फलो को विधालय तक पहुचाने का कोई अतिरिक्त चार्ज नही होगा।
23. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये सम्पुर्ण निविदा/अंशों में अस्वीकार करने का अधिकार है।
24. मौसम अनुसार पत्तेदार एंव विना पत्तेदार हरी सब्जी की आपुर्ति मीनु के अनुसार करनी होगीतथा फल भी मौसम के अनुसार (बदलते हुए क्रम में) देने होगें।
25. दर संविदा के अधीन कीमते, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड, दर संविदा के निबंधनों और शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा अर्थात फल एंव सब्जी की बाजार दर कम होने पर बाजार दर पर ही फल एंव सब्जी की आपुर्ति करनी होगी लेकिन बाजार दर अधिक होने पर अन्तर का भुगतान नही किया जायेगा।
26. फल एंव सब्जी का भुगतान अगले माह की 10 तारीख तक किया जायेगा।
27. छात्रावास अधिक्षिका द्वारा मौसमी सब्जी का प्रारम्भ होने पर मांग किये जाने पर सब्जी उपलब्ध करानी होगी । सब्जी विशेष उपलब्ध नही करवाने पर भुगतान में से कटौती की जाएगी।
28. अस्वीकृत निविदाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवाई गई धरोहर राशि लोटा दी जायेगी, किन्तु निम्नांकित परिस्थियों में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी–
    क. यदि निविदाताओं को निविदा खोलने के बाद, किन्तु उसकी स्वीकृति के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता हैं अथवा स्वेच्छा से संशोधित करता है।
    ख. यदि निविदादाता निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं करता है।
    ग. यदि निविदादाता कार्य आदेश मिलने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
    घ. यदि निविदादाता कार्य आदेश के अनुसार कार्य आरम्भ नहीं करता है।
29. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संशोधन आदेशों के अनुरूप टी.डी.एस.,जी.ए.टी. अथवा अन्य करों की कटौती की जावेगी।
30. समस्त प्रकार के विवादों के लिये न्याय क्षेत्र जिला टोंक होगा।
31. सामान्य वित व लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की समस्त शर्तें व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देश मान्य होगें।

<u>नोटः– निविदा फॉर्म में टंकण की त्रुटि होने की दशा में **GF&AR** में वर्णित शर्तें ही अन्तिम रूप में मान्य होगी।</u>

मैं/हम प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय वजीरपुरा टोंक द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना क्रमांक .... दिनांक .... में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मैरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मैरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही हैं। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी निविदा/अनुबन्ध को निरस्त करने, मैरे/हमारे विरूद्ध कानूनी/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

Abla Sharma
प्रधानाचार्य
रा० बा० आवा० उ० मा० वि०
वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

(सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,राईस, जयपुर द्वारा संचालित)

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय वजीरपुरा टोंक

जारीकर्ता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर एंव तिथि

खुली निविदा सूचना 01/2022–23

निविदा प्रपत्र (वितीय निविदा)

(राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा, टोंक में अधिकतम 252 छात्राओं के लिए सब्जी एंव फल सप्लाई का कार्य ठेके पर देने हेतु।)

1. निविदादाता फर्म/व्यक्ति/सब्जी विक्रेता का नाम व पता ....
2. निविदा संख्या ....दिनांक ..../................../..............
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु जमा कराई गई राशि 200/– की कार्यालय रसीद संख्या ....दिनांक ..../...................../...........................
4. बोली प्रतिभूति राशि जमा करवाने के संदर्भः डी.डी. संख्या ....दिनांक........../........../.....
5. मैं/हम तकनीकी निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ..../.........../............... में अंकित समस्त शर्तो एवं तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तो से सहमत हूँ/हैं सहमति के साक्ष्य स्वरूप तकनीकी निविदा शर्त के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे हस्ताक्षर किये गये है।
6. दरें समस्त करों सहित निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	सामग्री का विवरण		सामग्री की संख्या	दर अंको में (प्रति किग्रा)	दर शब्दों में (प्रति किग्रा)
1	2	3	4	5	6
01.	हरी सब्जी की आपुर्ति	मौसम के अनुसार	अधिकतम 252 या अध्ययनरत छात्राओं की संख्या के अनुसार		
02.	अन्य	प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		हरी मिर्च			
		हरा धनिया			
		टमाटर			
		अदरक			
		नींबू			
		खीरा			
		गाजर			
		मूली			
03.	फल की आपुर्ति	केला			
		आम			
		चीकु			
		संतरा			
		सेव			
		नाशपती			
		अमरूद			
		खजुर			
		अंगुर			
		पपीता			

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

Abla Sharma

प्रधा...

रा० बा० आवा० उ० मा...

वजीरपुरा.टोंक

Scanned by CamScanner

इकरार नामा

यह करार पत्र आज दिनांक....................माह............................सन्............................को एक पक्ष....................(जिसे इसमें आगे अनुमोदित सेवा प्रदाय कर्ता कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहॉ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादको एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे सरकार कहा गया है। तथा इस अभिव्यक्ति में जाहॅ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेषितियों को शामिल किया हुआ समझाा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

1. चूकि सेवा प्रदाय कर्ता राजस्थान राज्य के टोंक जिले में **राजकीय बालिका आवसीय विद्यालय वजीरपुरा टोंक** में फल एंव सब्जी आपुर्ति की शर्तो में दिये गये तरीके से तथा कार्यादेश संख्या ....दिनांक........................में दी गई दरों पर प्रदाय करनें के लिए सरकार से समहत हो गया है।

2. एवं चूकि सेवा प्रदात कर्ता ने रुपयें की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है:–

   (1) नगद /बैंक ड्राफ्ट/चालन संख्या/बैंकर्स चेक/रसीद संख्या...............दिनांक........................

3. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है।

   (1) कार्यादेश संख्या..............दिनांक.........................दी गई दरों पर ....के मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल सेवा प्रदायकर्ता...................में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तो में दिये गये तरीके से उक्त कर्मकारों की विधिवत सप्लाई करेगा।

   (2) निविदा सूचना संख्या...................... दिनांक..........................से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं कार्य करने की शर्तो को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करनें वाले पक्षकरों के लिए मान्य होगी।

   (3) सेवा प्रदायकर्ता कार्यदेश संख्या..........................दिनांक.........................से उल्लेखित अवधि/ तिथि तक मौसमी फल एंव फल आपुर्ति करेगा।

4. सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि सेवा प्रदायकर्ता फल एंव सब्जीं की उपयुक्त तरीके से विधिवत सप्लाई प्रदाय करेगा उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनायें रखेगा, तो सरकार.. ....के माध्यम से अनुमोदति सेवा प्रदाय को उक्त शर्तो में दिये गये समय पर तथा तरीके से सेवा प्रदायक के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या करवाएगी।

5. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार मौसमी फल एंव सब्जी उपलब्ध करवायें जाएगें। यदि किसी समय ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार फल एंव सब्जी उपलब्ध नही करवा जाने पर या खराब फल एंव सब्जी सप्लाई करने पर अथवा सप्लाईका कार्य सन्तोषजनक नही होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जाएगी।

6. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस कारार पत्र के निर्वाचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान – जयपुर) द्वारा विनिश्चित किये जाएगे तथा सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक...................माह......................सन्....................को अपनें हस्ताक्षर कियें।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी और से
पदनाम

अनुमोदित सेवा प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांकसाक्षी सं 1

साक्षी सं 2

दिनांकसाक्षी सं. 1

साक्षी सं. 2

Abla Sharma
प्रधानाचार्य
रा० बा० आवा० उ० मा० वि०
वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner